बिहार सरकार
समाहरणालय,कैमूर(भभुआ)
(स्थापना शाखा)

दूरभाष सं० - 06189 - 223241 (O)
फैक्स सं० - 06189 - 223301
email - dm-bhabhua.bih@nic.in

समाहरणालय संवर्ग के सेवानिवृत कर्मियों के लिए संविदा/अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु विज्ञापन।

सरकार के प्रधान सचिव,कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–4/ वि0–1–114/2009–का0 2804/पटना दिनांक–29.03.2010 एवं सरकार के अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग,बिहार पटना के संकल्प ज्ञापांक–03/एम0–63/2013 सा0 प्र0–10000/ पटना दिनांक–10.07.2015 के आलोक में निम्नांकित श्रेणियों के सेवानिवृत सरकारी कर्मी जिनकी उम्र 65 वर्ष से कम हो का संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

संविदा पर नियोजन हेतु सेवानिवृत कर्मी के पद का आरक्षणवार रिक्ति निम्न प्रकार है:–

क्र0	पद का विवरण	रिक्त पदों का सं0	आरक्षण वार रिक्ति						अभ्युक्ति
			अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	पिछड़ा वर्ग	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग की महिला	
1	राजस्व कर्मचारी	79	39	13	00	13	08	06	
2	पंचायत सचिव	92	43	15	02	14	16	02	
3	लिपिक	31	07	05	01	01	14	03	
4	जीप चालक	20	10	03	—	04	02	01	
5	कार्यालय परिचारी	58	25	08	—	09	13	03	
6	साख्यिकी सहायक	11	—	—	—	—	—	—	सामाज कल्याण विभाग
7	लिपिक–सह–टंकक	04	—	—	—	03	01	—	

उपरोक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया एवं शर्त निम्नवत है:–

1. संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों की सेवा प्रथम दो वर्षो के लिए किया जायेगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना एवं जिलाधिकारी, कैमूर द्वारा नियमित नियुक्ति किये जाने तक या 65 वर्ष की उम्र पूरा होने दोनों में जो पहले पूर्ण होगा नियोजन स्वतः समाप्त हो जायेगा। इसके लिए किसी प्रकार का दावा अनुमान्य नहीं होगा।
2. संविदा के आधार पर नियोजन की अधिकतम उम्र सीमा 60 एवं 65 वर्ष के बीच होगी। इसके पश्चात् विभागीय परिपत्र/निदेश के आलोक में कार्यो की समीक्षोपरान्त एक–एक वर्ष के लिए सेवा अवधि का विस्तार किया जायेगा। कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर संविदा नियोजन रद्द कर दिया जायेगा।
3. संविदा पर नियोजित सेवानिवृत सरकारी सेवकों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन+सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महँगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि+सेवानिवृति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महँगाई राहत की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वही होगा, परन्तु पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान होता रहेगा। मासिक मानदेय की यह राशि उक्त सेवानिवृत सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी।
4. उपरोक्त पद पर नियोजन, विभाग में पूर्व से उपलब्ध आरक्षण रिक्तियों के विरूद्ध किया जायेगा।

5. सरकारी सेवा से सेवानिवृत इच्छुक आवेदक अपना आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में निम्न कागजात संलग्न करते हुए दिनांक 25.08.2017 (कार्यालय अवधि में) तक स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक के माध्यम से जिलाधिकारी, कैमूर के पते पर भेज सकते है, अथवा हाथों–हाथ सीधे प्राप्त करा सकते है। उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

A. सेवानिवृति के समय प्राप्त होने वाले वेतन का एल0पी0सी0।

B. पेंशन प्राप्ति पी0पी0ओ0 का छायाप्रति।

C. सेवापुस्त की प्रारम्भ से लेकर अंतिम तक की अभिप्रमाणित छायाप्रति।

D. अद्यतन आचरण प्रमाण पत्र एवं स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र।

E. अन्य जिलों के समाहरणालय सम्वर्ग के सेवानिवृत कर्मी अपना आवेदन सेवानिवृत हुए जिला के जिला पदाधिकारी के माध्यम से अनुशंसा के साथ प्राप्त आवेदन पर विचार किया जायेगा।

6. **सेवानिवृत होने वाले निम्नांकित कर्मियों की सेवाए नहीं ली जायेगी।**

1) जिन पर कोई निगरानी का मामला चल रहा हो।

2) जिन पर कोई विभागीय कार्यवाही चल रही हो।

3) जिन पर कोई गम्भीर आरोप विचाराधीन हो।

4) जिन पर किसी भी तरह का कोई अपराधिक मामला दर्ज हो।

7. प्राप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा एवं स्वास्थ्य की जॉच **दिनांक 05.09.2017 को 11:00 बजे पूर्वाहन** में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा की जायेगी।

अतः उक्त तिथि को निर्धारित समय एवं स्थान पर आवेदक गण अपने सभी कागजातों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

जिला पदाधिकारी,
कैमूर (भभुआ)

सेवानिवृत कर्मियों का संविदा पर नियोजन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन

फोटो

1. आवेदक (सेवानिवृत कर्मी) का नाम..

2. पदनाम– ....

3. विभाग कार्यालय का नाम जहॉ से सेवानिवृत हुए हैं.....................

4. जिला का नाम– ....

5. जन्म तिथि...

6. सेवा में योगदान की तिथि– ....

7. सेवानिवृति की तिथि..

8. अंतिम वेतन प्रमाण पत्र की छायाप्रति (L.P.C)

   (I) वेतनमान–

   (II) मूल वेतन–

   (III) ग्रेड वेतन–

9. पद का नाम जिससे सेवानिवृत हुए हैं– ....

10. पेंशन प्राप्ति की छायाप्रति– ....

11. अद्यतन आचरण प्रमाण पत्र– ....

12. सेवापुस्त की प्रारम्भ से लेकर अंतिम तक की अभिप्रमाणित छायाप्रति–

13. पेंशन की स्वीकृत राशि–पेंशन+महंगाई राहत आदि (कुल जोड़कर) ....

14. सेवानिवृति पूर्व विभागीय आरोप/विभागीय कार्यवाही– ....

15. आरक्षण श्रेणी– ....

16. आरोप के निष्पादन की स्थिति अधिरोपित दण्ड का विवरण– ....

17. वर्तमान पता– ....

18. स्थायी पता– ....

19. घोषण पत्रः– मैं घोषणा करता/करती हूॅ कि उपर्युक्त विवरण सही है। सूचना गलत पाये जाने की स्थिति में मेरा/मेरी संविदा नियोजन रद्द कर दिया जायेगा।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर